संख्या-48/2015/1643/नौ-5-2015-28बजट/2007

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम (जिला सेक्टर-अनुसूचित जाति सब प्लान) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराये जाने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5773/नौ-5-14-28बजट/2007, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति सब प्लान (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पेयजल सुविधा हेतु प्रावधानित धनराशि ₹ 50.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि ₹ 25.00 करोड़ (₹ पच्चीस करोड़ मात्र) संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा शासन स्तर पर सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से किया जायेगा तथा आहरित धनराशि जिलेवार फांट के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम के जिलास्तरीय अधिकारियों को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नगरीय क्षेत्रों की हैण्डपम्पों की स्थापना/रिबोर तथा रिबोर योग्य नलकूपों के कार्यो पर विचार किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यो का चयन किया जायेगा

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2015 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(6) विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के समय जो विभिन्न शर्ते निर्धारित की गयी थी, उन्ही शर्तो के अधीन यह धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(7) धनराशि के उपयोग की सप्ताहवार समीक्षा सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी। प्रत्येक माह्त की 02 व 03 तारीख तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(8) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का आहरण योजनान्तर्गत जनपदवार आवंटित परिव्यय की सीमा तक किया जाएगा। वर्ष 2014-15 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय के अनुसार जारी की गई स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जाएगा और यथावश्यकता सम्बन्धित जनपद की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों, उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-*"4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन-24-वृहद निर्माण कार्य"* के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन तथा नियोजन विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-48 /2015/1643 (1)/नौ-5-15-28बजट/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, वर्क्स लेखा अनुभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/बजट अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11- राज्य योजना आयोग-2, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- 48/2015/1643 (1)/नौ-5-15-28बजट/2007, दिनांक 09 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-5773/नौ-5-14-28बजट/2007 दिनांक, 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	आगरा	8.45	8.45
2	मैनपुरी	8.87	8.87
3	मथुरा	49.88	49.88
4	फिरोजाबाद	20.43	20.43
5	अलीगढ़	55.70	55.70
6	हाथरस	20.76	20.76
7	एटा	14.33	14.33
8	कासगंज	28.48	28.48
9	झांसी	24.21	24.21
10	ललितपुर	56.41	56.41
11	जालौन	52.42	52.42
12	हमीरपुर	72.17	72.17
13	महोबा	32.46	32.46
14	बांदा	28.56	28.56
15	चित्रकूट	2.56	2.56
16	लखनऊ	133.55	133.55
17	रायबरेली	16.09	16.09
18	हरदोई	0.81	0.81
19	उन्नाव	6.04	6.04
20	सीतापुर	151.25	151.25
21	लखीमपुर खीरी	10.61	10.61
22	बरेली	14.48	14.48
23	बंदायू	11.66	11.66
24	पीलीभीत	14.23	14.23
25	शाहजहांपुर	10.46	10.46
26	मेरठ	18.75	18.75
27	बागपत	8.85	8.85
28	गाजियाबाद	14.36	14.36
29	हापुड़	14.44	14.44
30	गौतमबुद्धनगर	2.61	2.61
31	बुलन्दशहर	14.08	14.08
32	सहारनपुर	3.02	3.02
33	मुजफ्फरनगर	7.77	7.77
34	शामली	18.10	18.10
35	मुरादाबाद	24.20	24.20
36	सम्भल	11.80	11.80
37	अमरोहा	10.27	10.27
38	रामपुर	24.47	24.47
39	बिजनौर	107.05	107.05
40	वाराणसी	246.18	246.18
41	चन्दौली	2.21	2.21
42	गाजीपुर	103.68	103.68
43	जौनपुर	51.72	51.72
44	संतरविदासनगर-भदोही	31.78	31.78

शासनादेश संख्या-48 /2015/1643 (1)/नौ-5-15-28बजट/2007, दिनांक 09 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या-5773/नौ-5-14-28बजट/2007 दिनांक, 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि	शेष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
45	मिर्जापुर	55.67	55.67
46	सोनभद्र	8.04	8.04
47	गोरखपुर	6.72	6.72
48	महराजगंज	1.20	1.20
49	देवरिया	4.94	4.94
50	कुशीनगर	8.85	8.85
51	बस्ती	6.00	6.00
52	संतकबीरनगर	4.05	4.05
53	सिद्धार्थनगर	14.28	14.28
54	आजमगढ़	89.42	89.42
55	मऊ	29.22	29.22
56	बलिया	12.11	12.11
57	इलाहाबाद	20.12	20.12
58	कौशाम्बी	16.09	16.09
59	फतेहपुर	37.70	37.70
60	प्रतापगढ़	36.51	36.51
61	कानपुर नगर	375.73	375.73
62	कानपुर देहात	17.67	17.67
63	फर्रूखाबाद	14.48	14.48
64	कन्नौज	3.23	3.23
65	औरैया	65.97	65.97
66	इटावा	18.83	18.83
67	फैजाबाद	10.61	10.61
68	अम्बेदकरनगर	1.65	1.65
69	सुल्तानपुर	4.19	4.19
70	अमेठी	32.18	32.18
71	बाराबंकी	22.53	22.53
72	गोण्डा	1.89	1.89
73	बलरामपुर	9.86	9.86
74	श्रावस्ती	4.82	4.82
75	बहराइच	5.23	5.23
	योग	2500.00	2500.00

(₹ पच्चीस करोड़ मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-09/03/2015

प्रेषण संख्या:- 48-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-48-2015-1643-9-5-2015-28Bud-07

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
03 - अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000000 500000000	250000000 500000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	250000000 500000000	250000000 500000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पचास करोड़

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव